

प्रायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 468 / 2018-19



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

सुलेमान बखला

- विक्रेता

अनिल संगी

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
21.08.19	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक सुलेमान बखला पिता स्व० मनसुख बखला ग्राम-दरंगकेल, पोस्ट-लोधमा, थाना-करा, जिला खूँटी ने अनिल संगी पिता सोमा संगी ग्राम-दरंगकेल, टाँकाटोली, पोस्ट-लोधमा, थाना करा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1"><thead><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकबा (एकड़ में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>दरंगकेल</td><td>155</td><td>100</td><td>332</td><td>0.10</td></tr></tbody></table> <p>अंचल अधिकारी, करा के पत्रांक 888 दिनांक 14.08.19 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के पास आवेदित भूमि विक्री के पश्चात् जीवन-यापन हेतु प्रयाप्त भूमि नहीं बचने के कारण अंचल अधिकारी, करा द्वारा भूमि विक्री हेतु अनुशंसा नहीं की गयी है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, करा के जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"> 21/08/19 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: center;"> 21/08/19 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	दरंगकेल	155	100	332	0.10	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
दरंगकेल	155	100	332	0.10								